

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री भरत कुमार ओटारमल जैन
निवासी 509, आनन्द पार्क सोसायटी
बिल्डिंग नं. 8/14 शंकरसेठ रोड
गुल्लेकडी पुणे।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार शिवगंज

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 68 वर्ष 2026

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुकम की तामिल में जारी हुए
08.01.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत का पैतृक निवास पुराना जोगापुरा तहसील शिवगंज जिला सिरौही में है और अपीलांत के परिवार से ग्राम पंचायत जोगापुरा सरपंच पद पर 1960 से 1968 के मध्य पद पर थे। उक्त वर्ष कार्यकाल का विवरण सरपंच के नाम सहित विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत का पैतृक निवास पुराना जोगापुरा तहसील शिवगंज जिला सिरौही में है और अपीलांत के परिवार से ग्राम पंचायत जोगापुरा सरपंच पद पर 1960 से 1968 के मध्य पद पर थे। उक्त वर्ष कार्यकाल का विवरण सरपंच के नाम सहित विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेशल आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अत्या चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही